



न्यायालय

## सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2025 / 721

दर्ज तिथि:-07.10.2025

1. दल्लाराम पुत्र जोगाराम
2. चिमनाराम पुत्र जोगाराम
3. जोगाराम पुत्र लालाराम
4. चन्दा पुत्र नाथा
5. रावताराम पुत्र रूगाराम
6. टीपूदेवी पत्नी रूगाराम

जाति जाट निवासी खुडाला तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादीगण

**बनाम**

1. गंगा पुत्र लच्छा
2. गोमा पुत्र लच्छा
3. चौखा पुत्र लच्छा
4. नैना पुत्र लच्छा

जाति जाट निवासी खुडाला तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

5. शाखा प्रबंधक आरएमजीबी शाखा सड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
6. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री डालूराम चौधरी

प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

**:-निर्णय:-**

निर्णय तिथि:-07.05.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा- 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने



पेश हुआ है। प्रकरण में दिनांक 19.12.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुडामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई।

2. तत्पश्चात तहसीलदार गुडामालानी के पत्रांक/कोर्ट/2026/2298 दिनांक 09.04.2026 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुडामालानी के पत्रांक/कोर्ट/2026/2012 दिनांक 31.01.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

| प्रक्रिया हेतु प्रावधान                                                                                                                                                                                                                                                                                | अपनायी गई प्रक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</b><br/>- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p> | <p>प्रकरण में दिनांक 01.04.2026 को तहसीलदार गुडामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>                                                                                                                                                       | <p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुडामालानी के नोटिस क्रमांक 3269-3278 दिनांक 11.03.2026 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 01.04.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।<br/>2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुडामालानी के नोटिस क्रमांक 3269-3278 दिनांक 11.03.2026 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 01.04.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p> |

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072-2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 126/0.0203 है0, 246/127/4.0279 है0, 247/127/19.9376 है0 मौजा खुडाला पटवार हल्का खुडाला तहसील गुडामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की

शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

**188. Injunction against wrongful ejectment—**

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

5. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

| परिस्थिति | विवरण                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो। |
| 2.        | जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो। |

|    |                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी। |
| 4. | जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।                                                                 |

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात् वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक-पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात् रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात् रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात् रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।
7. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 126/0.0203 है0, 246/127/4.0279 है0, 247/127/19.9376 है0 मौजा खुडाला पटवार हल्का खुडाला तहसील गुड़ामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता

है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

| खातेदार                                                                                                                                                                                                        | हिस्सा                          | ग्राम  | खसरा                   | रकबा             | किस्म                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|------------------------|------------------|--------------------------|
| जोगाराम पुत्र लालाराम<br>रहन-आरएमजीबी सड़ा<br>चिमनाराम पुत्र जोगाराम<br>रहन-आरएमजीबी सड़ा<br>दल्लाराम पुत्र जोगाराम<br>रहन-आरएमजीबी सड़ा<br>कौम जाट सा0 देह खातेदार                                            | 1/3<br>1/3<br>1/3               | खुडाला | 247 / 127<br>126       | 7.9265<br>0.1295 | बा0सो0<br>गै0मु0<br>ढाणी |
| कुल किता 02 रकबा 8.0560 है0                                                                                                                                                                                    |                                 |        |                        |                  |                          |
| गंगाराम पुत्र लच्छाराम कौम<br>जाट<br>गोमाराम पुत्र लच्छाराम<br>रहन-एसबीआई गुड़ामालानी<br>चौखाराम पुत्र लच्छाराम कौम<br>जाट<br>नैनाराम पुत्र लच्छाराम कौम<br>जाट<br>मीरो पत्नी लच्छा कौम जाट<br>सा0 देह खातेदार | 1/5<br>1/5<br>1/5<br>1/5<br>1/5 | खुडाला | 246 / 127<br>247 / 127 | 4.0279<br>4.0280 | बा0सो0<br>बा0सो0         |
| कुल किता 02 रकबा 8.0559 है0                                                                                                                                                                                    |                                 |        |                        |                  |                          |
| चन्दाराम पुत्र नाथाराम<br>रावताराम पुत्र रूगाराम<br>टीपूदेवी पत्नी रूगाराम<br>सम्पूर्ण हि0<br>रहन-आरएमजीबी सड़ा                                                                                                | 1/2<br>1/4<br>1/4               | खुडाला | 126<br>247 / 127       | 0.0728<br>7.9831 | गै0मु0<br>ढाणी<br>बा0सो0 |
| कुल किता 02 रकबा 8.0559 है0                                                                                                                                                                                    |                                 |        |                        |                  |                          |

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुड़ामालानी





न्यायालय

## सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2025 / 721

दर्ज तिथि:-07.10.2025

1. दल्लाराम पुत्र जोगाराम
  2. चिमनाराम पुत्र जोगाराम
  3. जोगाराम पुत्र लालाराम
  4. चन्दा पुत्र नाथा
  5. रावताराम पुत्र रूगाराम
  6. टीपूदेवी पत्नी रूगाराम
- जाति जाट निवासी खुडाला तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादीगण

**बनाम**

1. गंगा पुत्र लच्छा
  2. गोमा पुत्र लच्छा
  3. चौखा पुत्र लच्छा
  4. नैना पुत्र लच्छा
- जाति जाट निवासी खुडाला तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
5. शाखा प्रबंधक आरएमजीबी शाखा सड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
  6. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री डालूराम चौधरी

प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

**-:पर्चा डिक्री:-**

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी

व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 126/0.0203 है0, 246/127/4.0279 है0, 247/127/19.9376 है0 मौजा खुडाला पटवार हल्का खुडाला तहसील गुड़ामालानी मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

| खातेदार                                                                                                                                                                                                        | हिस्सा                   | ग्राम  | खसरा                   | रकबा             | किस्म                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------------------|------------------|--------------------------|
| जोगाराम पुत्र लालाराम<br>रहन-आरएमजीबी सड़ा<br>चिमनाराम पुत्र जोगाराम<br>रहन-आरएमजीबी सड़ा<br>दल्लाराम पुत्र जोगाराम<br>रहन-आरएमजीबी सड़ा<br>कौम जाट सा0 देह खातेदार                                            | 1/3<br>1/3<br>1/3        | खुडाला | 247 / 127<br>126       | 7.9265<br>0.1295 | बा0सो0<br>गै0मु0<br>ढाणी |
| कुल किता 02 रकबा 8.0560 है0                                                                                                                                                                                    |                          |        |                        |                  |                          |
| गंगाराम पुत्र लच्छाराम कौम<br>जाट<br>गोमाराम पुत्र लच्छाराम<br>रहन-एसबीआई गुड़ामालानी<br>चौखाराम पुत्र लच्छाराम कौम<br>जाट<br>नैनाराम पुत्र लच्छाराम कौम<br>जाट<br>मीरो पत्नी लच्छा कौम जाट<br>सा0 देह खातेदार | 1/5<br>1/5<br>1/5<br>1/5 | खुडाला | 246 / 127<br>247 / 127 | 4.0279<br>4.0280 | बा0सो0<br>बा0सो0         |
| कुल किता 02 रकबा 8.0559 है0                                                                                                                                                                                    |                          |        |                        |                  |                          |
| चन्दाराम पुत्र नाथाराम<br>रावताराम पुत्र रूगाराम<br>टीपूदेवी पत्नी रूगाराम<br>सम्पूर्ण हि0<br>रहन-आरएमजीबी सड़ा                                                                                                | 1/2<br>1/4<br>1/4        | खुडाला | 126<br>247 / 127       | 0.0728<br>7.9831 | गै0मु0<br>ढाणी<br>बा0सो0 |
| कुल किता 02 रकबा 8.0559 है0                                                                                                                                                                                    |                          |        |                        |                  |                          |

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 07.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी

